

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
दिवंगी तल, डी-ब्लॉक, वित भवन, जगपथ, जयपुर, फोन: 0141-2740219

कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग
(साधारण बीमा निधि)

द्वितीय तल, डी-ब्लॉक, वित भवन, जगपथ, जयपुर, फोन: 0141-2740219

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा सभी राज्यवाहिनी के लिए, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2012-13 को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। योजना में व्यक्तिगत की दुर्घटना में मृत्यु होने पर ₹ 2 लाख तथा आप-धना होने पर नियमानुसार शब्दियतंत्र संशोधित बुगतान देय है। इस वर्ष उत्तर योजना को प्रीमियम अरेस्टान ₹ 220/- + सेवा शुल्क (12.36 प्रीमियम) देय है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.5.2011 से योजना का विकेन्ट्रोकरण विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर कर दिया गया है। संबंधित कर्मी कृपया ध्यान दें।

प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी यह सुनिश्चित कर लें कि जीपीए का प्रीमियम अप्रैल देय मई, 2012 के बेतन से कट रखा गया है। यदि बेतन से प्रीमियम नहीं कटा गया है तो ₹ 220/- + सेवा शुल्क (12.36 प्रीमियम) का बैंक ड्राप्ट संबंधित जिला कार्यालय के 'उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग' के पास में बैनाकड़ मूल प्रस्ताव पत्र (यदि आवश्यक हो) के साथ भिजाया जाना सुनिश्चित करें।

पंचायती राज विधायिका, प्रानियुक्त पर पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी एवं जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अप्रैल, 2012 का बेतन किए हो करणों से आहरित नहीं किया गया है उनके बैंक ड्राप्ट मध्य कटौती पुत्र एवं प्रस्ताव पत्र (यदि आवश्यक हो) संबंधित जिला कार्यालय को भिजाया।

दिनांक 1.5.2011 के पश्चात बोर्ड, कोपेरेशन, स्थानीय निकाय वथा नगर निगम, नारपालिका, नगर परिषद, यूआईटी, सहकारी बैंक तथा कृषि उपज मण्डी समिति आदि को जारी की जाने वाली नवीन एवं नवोनिकृत समस्त पालिसीयों का कार्य जिला स्तर पर किया जा रहा है।

इस योजनानामानुसार दिनांक 1.5.2011 से जारी होने वाली पालिसीज (विद्युतनर्मयों के अतिरिक्त) के द्वावा निस्तारण विभाग के जिला कार्यालय स्तर पर एवं दिनांक 1.5.2011 से पूर्व जारी पालिसीज के अंतर्गत द्वावा निस्तारण का कार्य साधारण बीमा निधि, वित भवन, जयपुर द्वारा पूर्ववत् किया जाता रहेगा। योजना के अंतर्गत समस्त दस्तावेज सहित विभाग के पास दुर्घटना/मृत्यु होने की तिथि से 6 माह में समत अंतर्वित दस्तावेजों सहित विभाग में पहुंच जाने आवश्यक है।

योजना में निम्न स्थितियों में भूगतान देय नहीं होता:

- दावा प्रपत्र दुर्घटना तिथि से 6 माह बाद प्राप्त होने की स्थिति में तथा युक्तियुक्त कारणों से विलाप होने पर 12 माह आपात होने की स्थिति में।
- प्रीमियम राशि दुर्घटना/मृत्यु/क्षति होने के बाद प्राप्त होने पर।
- मोटर वैकल एवं 1989 के उल्लंघन के फलस्वरूप दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर।
- बीमारी, आपेक्षन या प्राकृतिक मृत्यु की दशा में।
- आत्महत्या, नशे के प्रभाव आदि में मृत्यु/क्षति होने पर।
- जहरीले कीड़े के काटने पर एफआईआर/पीएमआर/एफआर व अन्य साक्ष्य दस्तावेज नहीं होने पर।
- इनसे हुई मृत्यु की स्थिति में एफआईआर, पीएमआर तथा एफआर नहीं होने पर।
- आवश्यक दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण को एक बर्ध बाद अंतिम रजिस्टर्ड नोटिस' देकर बदल कर दिया जाएगा।

नोट:— योजना की विस्तृत जानकारी एवं पालिसी की शर्तों हेतु विभाग के संभाग/जिला कार्यालयों से संपर्क करें। अध्या विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in देखें।

अति निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.

डोआइपीआर/सी/4046/2012

विभाग, राजस्थान, जयपुर